E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(4): 245-250
Received: 13-08-2020
Accepted: 16-09-2020

ममता कुमारी सिन्हा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा,
बिहार, भारत

Corresponding Author:
ममता कुमारी सिन्हा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा,
बिहार, भारत

महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान एवं प्रभाव

ममता कुमारी सिन्हा

सारांश

भारत का संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की गारण्टी देता है, फिर भी वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव में महिलायें अभी भी अधीनस्थ अवस्था में जी रही है और अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। महिलाओं की वास्तविक स्थिति को मान्यता देते हुए, संविधान भीमहिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के लिए प्रावधान करता है। बिहार सरकार समानता, सामाजिक न्याय तथा लिंग, जाति, समुदाय, भाषा व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की संवैधानिक गारण्टी हेतु कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुहराती है। यह नीति संविधान की इस भावना को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। विश्व विकास के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान को महिलाओं के निम्न स्तर, पुरूष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाएँ एवं मूल्यों, जातीयआधारपर घटित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा एवं अत्यधिक दरिद्रता के पर्याय स्वरूप देखा जाता रहा है। कुछ सीमा तकतो राजस्थान की यह छवि संचार माध्यमों व चलचित्रों की देन हो सकती है, परन्तु एक कटु सत्य यह है कि समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अनचाहा बोझ समझा जाता है।

कूटशब्द: महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान, प्रभाव

प्रस्तावना

आज हमारा संविधान विश्व के सबसे अधिक प्रगतिशील संविधानों में से है। हमने जैण्डर क्षमता पर आधारित कानून एवं विधान बनाया है। हम समानता, भेदभाव न बरतने एवं सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध है। हम महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है। इन्हें वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने की चुनौती हमारे समक्ष है। इस दस्तावेज का उद्धेश्य कोई नई चीज न कहकर, इस देश के कानूनों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं के स्तर एवं स्थिति में सुधार करने तथा शोषण एवं शोषणवादीकुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तन्त्र को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना इस नीति का उद्धेश्य है। इस उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए उपाय निम्नानुसार उल्लेखित है:-

- ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करना जो लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय (जैण्डर न्याय सहित) प्रदान करने तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएं।
- घर की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता देना सरकार संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुंच एवं नियंत्रण के लिए प्रयत्न करेगी।
- अत्यधिक दरिद्रता एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरी कन्याओं एवं महिलाओं की विशेष जरूरतों को मान्य ता देना व समाज के दुर्बल वर्गो के विकास हेतु प्रयासों को लक्षित करना।
- महिलाओं में कुपोषण, अस्वस्थता, जल्दी बच्चे पैदा होने एवं अधिक मृत्यु के जीवन-चक्र को मान्यता देना, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जीवन-चक्र के ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो बचपन से वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण पर आवश्य कताओं को मान्यता देता है। महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियन्त्रण करने एवं अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए सहायता प्रदान करना।
- सभी बालिकाओं को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दिलाना, निरक्षर एवं नव-साक्षर किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत शिक्षा के अवसर प्रदान कराना तथा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर समान सुविधा दिलाना।
- सभी स्तरों पर सभी विभागों में सरकारी कार्यकर्ताओं की जैण्डर संवेदनशीलता के लिए सहायक वातावरण एवं उपयुक्त तन्त्र सृजित करना तथा राजनीतिज्ञों, राय निर्माताओं एवं मीडिया को संवेदनशील करना।
- राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करना एवं समर्थन देना तथा विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुंच को प्रोत्साहित करना। किसी भी नीति में व्यापक रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को सूचीबद्ध करना संभव नही है। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में यह कार्य और भी दुष्कर हो जाता है जहां एक ओर क्षेत्रीय स्तर पर भौगोलिक विषमताएं है,वही दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सामाजिक व पारस्परिक दृष्टिकोण महिलाओं के लिए असमानता के वातावरण को प्रभावित करते है।

वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि महिलाएं सामाजिक व राजकीय तंत्र पर पूर्णतः आश्रित न होकर स्वयं सशक्त हों तथा अपने अधिकारों व दायित्वों को समझते हुए विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएं इसके लिए प्रशासकों,नीति-निर्माताओं, राजनीतिक व सामाजिक नेताओं एवं सेवा प्रदानकर्ताओं की महिलाओं के प्रति अधिष्ठायी मानसिकता को बदलना आवश्यक है। द्वितीय आयाम हमारे समाज के दुर्बल वर्गो को चिन्हित करता है तथा यह स्वीकार करता है कि सभी महिलायें एक ही श्रेणी की नहीं है।

इससे प्रशासकों, सेवा प्रदानकर्ताओं को अपने प्रयत्नों को उन समूहों पर लक्षित करने में मदद मिलेगी जिन्हेंउनकी नितान्त आवश्यकता है। तृतीय आयाम उन प्राथमिकताओं को अनुसूचित करता है जिन पर सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों से कार्य अपेक्षित हैं। इससे सभी को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य योजनाएं तैयार कर प्राथमिकताओं को ध्यानमें रखते हुए क्रियान्वयन की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अधिकारों के परिपे्रक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि समान अधिकारों की संवैधानिक गारण्टी से अभिप्रेत यह नीति महिलाओं के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। महिला दशक (1975-85) की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया व सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभग्राही न मानकर उसको सशक्त बनाने की ओर उन्मुख हो गई। भारत सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध सब प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दिसम्बर, 1979 के समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता भारतीय संविधान की भावना की पुष्टि करता है। यह नीति दस्तावेज इस समझौते की अधिकार-परक परिप्रेक्ष्य की भावना पर आधारित है। विशेष रूप से यह नीति निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन करती है-

- जीवन, उत्तरजीविता, जीविका के साधनों, आश्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, भेदभावरहित वातावरण तथा प्रजनन में महिलाओं के योगदान की अभिस्वीकृति तथा कामकाजी महिलाओं के लिए बालरक्षा सेवाओं के लिए सह-प्रतिबद्धता का अधिकार।
- प्राकृतिक संसाधनों एवं सामान्य सम्पत्ति संसाधनों तक पहुंच का अधिकार।

- ऐसे सुरक्षित वातावरण का अधिकार जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के जीवन में सहायता करे।
- अबोध शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार।
- स्वयं के शरीर पर अधिकार एवं स्वेच्छा से गर्भधारण करने का अधिकार।
- शिक्षा, सूचना, कौशल विकास एवं ज्ञान के अन्य साधनों का अधिकार।
- हिंसा, अतिक्रमणों एवं दासता के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार। गरिमा एवं व्यक्तित्व का अधिकार, हिंसा एवं सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्ति का अधिकार।
- गरीब महिलाओं के लिए विधिक सहायता सहित विधिक एवं सामाजिक न्याय का अधिकार।
- सभी समुदायों एवं जातियों की महिलाओं के लिए अविभेदकारी वैयक्तिक कानून का अधिकार।
- सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं एवं रोजगार के लिए समान पहुंच का अधिकार।
- राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासन की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार।

ये अधिकार नीति निर्धारण के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करते है एवं स्वीकार करते है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, जीविका आदि तक पहुंच अपने आप में ही महत्वपूर्ण है न कि केवल वंश वृद्धि के सहयोगी साधन के रूप में। यह नीति महज जनन दृष्टिकोण से दूर हटने तथा शक्ति प्रदन्त करने एवं अधिकारों में पैठ करने की अभिपुष्टि करती हैं आशा है कि यह परिपे्रक्ष्य, यदि पूर्ण समक्ष के साथ इसे स्वीकार किया जाता है, जो प्रशासकों, नीति निर्माताओं एवं सभी स्तरों पर सेवा प्रदान करने वालों की मानसिकता में परिवर्तन लायेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को अब और अधिक समय तक कल्याण कार्यों में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखा जाएगा। अपितु अधिक स्वायत्तता, विश्वास, ज्ञान, सूचना, गतिशीलता एवं दक्षता प्रदान करने के लिए बने कार्यक्रमों की प्रकृति एवं विषय-सामग्री को सुनिश्चितकरने में सक्रिय सहभागी के रूप में देखा जाएगा संक्षेप में, यह अवधारणा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करने में सरकार को समर्थ बाएगी। महिलाओं को एक ही अविभेदिक एवं समान श्रेणी में नही रखा जा सकता हैं अलग-अलग सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की महिलाओं की समस्यायें भी अलग-अलग होती है। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि राजस्थान में महिला, बच्चों एवं किशोरी कन्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रचलित सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शारीरिक एवं मानसिक बाधा पुरुषों एव महिलाओं को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसी प्रकार हिंसा, सामाजिक मतभेद पुरुषों एवं महिलाओं को अलग-अलग प्रकार से प्रभावित करता है। विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत वाले समूहो को परिचिन्हित एवं सूचीबद्ध करने के महत्व को स्वीकार करते हुए यह नीति सभी समूहों, समुदायों, क्षेत्रों एवं आयु वर्गो में तथा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं एवं कन्याओं तक पहुचं ने के लिए प्रतिबद्ध है।

(क) बालिकाएं एवं किशोरी कन्याएं

कोई भी समाज तब तक प्रगति करने की आशा नहीं कर सकता जब तक कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझ कर उनके उचित पालन-पोषण की ओर ध्यान नही देगा। कुपोषण, निरक्षरता एवं हिंसा के शिकार शिशुओं का स्वस्थ्य एवं प्रसन्नचिन्त वयस्क बनना संभव नहीं। वे अभाव, विभेदीकरण, अव-पोषण, निरक्षरता एवं खराब स्वास्थ्य के चक्र में घूमते रहंगे। महिला, बच्चों एवं किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी खुशी पर पूंजी विनिवेश सार्वजनिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान में तो यह और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लिंगानुपात में चिन्ताजनक दर से कमी आ रही हैं महिलाओं के विवाह की औसत आयु अब भी 15.4 वर्ष तथा प्रभावी विवाह की औसत उम्र 17.9 वर्ष है। किशोरी बालिकाएं घरेलू जिम्मेदारियां निभाती रही है, जिनमें उनके शरीर को मातृत्व के बोझ को झेलने हेतु तैयार होने से पूर्व ही बच्चे पैदा करना भी शामिल है। सरकार किशोरी बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम चालू करने के लिए वचनबद्ध है जो उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। यथार्थ स्थिति एवं इस समस्या की संवेदनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए, कार्य करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

- घटते हुए लिंगानुपात, लिंग चयन के आधार पर गर्भपातों बालिकाओं के महत्व, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारण्टी, पोषात्मक विसंगतियों एवं तत्परिणमस्वरूप कन्याओं में कुपोषण एवं रक्ताल्पता, बाल विवाह एवं अठारह वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण के विपरीत प्रभाव

एवं बुनियादी शिक्षा के महत्व पर एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालिका को (औपचारिक/अनौपचारिक) शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त है तथा वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर, विशेषकर कुपोषण एवं रक्ताल्पता के निवारण हेतु, विशेष ध्यान देती है, विविध प्रकार से कन्याओं तक पहुंचना तथा सहायक सेवाएं प्राप्त करना एवं ऐसा प्रभावी वातावरण सृजित करना जिससे कन्याये स्वस्थ एवं विश्वासपूर्ण महिला के रूप में अपना विकास कर सकें।
- औपचारिक स्कूल पद्धति के भीतर एवं उसके बाहर बालिकाओं एवं किशोरी कन्याओं के साथ कार्य करने के लिए गैर-सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध करना जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता परामर्शी सेवाओं तथा व्यक्तित्व विकास की ओर केन्द्रित हों।
- बाल विवाह (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करना।

(ख) कमजोर वर्ग

प्रगति के लगभग सभी सूचक समुदायों, क्षेत्रों एवं जातियों में गम्भीर भेदों को प्रदर्शित करते हैं राजस्थान में आदिवासी, घुमन्तू एवं अनुसूचित जाति के लोग रहते है जहां मातृत्व एवं शिशु मुत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक है तथा साक्षरता 0.5 प्रतिशत तक कम है। कुछ क्षेत्रों में अपनी व अपने बच्चों की जीविका हेतु, निर्वाह के साधनों की कमी से महिलाओं को मजबूरी में वेश्यावृत्ति अपनाने के उदाहरण भी असामान्य नहीं हैं इन गरीब एवं विशेषाधिकार से वंचित जातियों एवं जनजातियों के पास पहनने के लिए आवश्यक वस्त्र भी नहीं होते जिसके कारण भी बच्चों को स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना पड़ता हैं घर एवं समाज में हिंसा के कारण यह विषम आर्थिक परिस्थिति और भी भयावह बन जाती है। इन जातियो, आदिवासी समुदायों, घमु न्तू एवं अल्पसख्ं यक समुदायों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केवल कतिपय विभागों या कतिपय संगठनों की अलग-अलग कार्ययोजनाओं के स्थान पर एक सर्वागीण तथा एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। महिलाओं की अधिकांश समस्यायें एक-दूसरे की परू क है, अतः उनके समाधान में भी इस तथ्य का समावेश करना होगा। सामाजिक सेवाओं जैसे बच्चों की देख-रेख, स्वच्छ पेयजल, उचित सफाई सुविधाये, आय अर्जित करने के अवसर तथा घर एवं समाज में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए तन्त्र आदि सबको एक साथ कार्य करना होगा। जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना असम्भव होगा जब तक पुरूष एवं महिलायें दोने, अपने बच्चों के उत्तरजीवी होने के बारे में निश्चित न हो जाएँ एवं उन्है अपने जीविकापार्जन के अवसर प्राप्त न हो। प्रजनन का भार महिलाओं पर डालने एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए उन्हें लक्ष्य बनाए जाने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आगे आने वाले अनुच्छेदों में महिला विकास से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की पहचान की गई है एवं मुख्य-मुख्य विभागों की सूची दी गई है तथा सबंधित राजकीय विभागों को चिन्हित कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया हुआ है। यह महिला विकास के लिये एक एकीकृत कार्ययोजना बनाने में सुविधा की दृष्टि से किया गया है। राज्य सरकार समस्त विभागों से यह अपेक्षा करती है कि उनके द्वारा बनायी जाने वाली कार्ययोजना में सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि कृषि, पशुओं की देखभाल, वनोत्पादों के संग्रह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों (खनन निर्माण आदि) में मजदूर श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण में गह आधारित कार्य, हस्तकला एवं लघु व्यापार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। गृहस्थी में महिलाओं के सम्पूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें प्रायः परजीवी तथा परिवार के अनुत्पादक सदस्य के रूप में माना जाता है। राजस्थान में महिलाओं को अपने घर पर एक आर्थिक दायित्व तथा ससुराल में एक बोझ के रूप देखा जाता है। महिलायाओं के कार्य की अदृश्यता एवं स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि पर उनका नियन्त्रण न होने के कारण परिवार, समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अब तक नगण्य समझा जाता है। महिलाओं को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कम कौशल एवं कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करना स्वीकार करना पड़ता हैं महिलाओं के पास गैर-परम्परागत व्यवसाय में काम करने के बहुत कम अवसर है और यदि अवसर उपलब्ध भी है तो पारिवारिक व सामाजिक बंधनों के रहते वे इन अवसरों का लाभ नहीं ले पाती है। महिलाओं के लिए बहुत से आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए गए है किन्तु वे कौशल विकास, आय-अर्जन, आत्मविश्वास पैदा करने, गतिशीलता प्रदान करने व जागरूकता पैदा करने में समग्र रूप से सफल नहीं रहे है।

महिलाओं की शक्ति एवं उनके सामाजिक स्तर का निश्चय उनकी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक संसाधनों तक उनकी पहुंच, सकारात्मक आत्मसम्मान तथा सामूहिक एवं आर्थिक संसाधनों में उनकी सहभागिता व भागीदारी के आधार पर किया जा सकता हैं विगत पचास वर्षो में आय संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों में सारा दबाव आय अर्जित करने पर रहा है परन्तु उस आय पर उनका स्वयं का नियंत्रण न हो पाने के कारण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार महिलाओं को वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

(ग) स्वास्थ्य, पोषण एवं जन स्वास्थ्य (पानी, सफाई आदि)

राज्य की विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला, उपखण्ड, ग्राम पेचायत व परिवार स्तर पर विशेष कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। इतनी अधिक बढ़ी हुई जनसंख्या का कमजोर आर्थिक प्रणाली और राजस्थान के लोगो की जिन्दगी पर क्या असर होगा? समझ से परे नहीं है।शिशु एवं बाल मृत्यु दर भी राजस्थान में काफी अधिक है, जो चिन्ता का विषय है। आधे से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण समयपूर्व प्रसव होना है। जो महिला के स्तर, निरक्षरता, गरीबी, प्रसव के समय देशभाल, कम आयु में गर्भाधान, प्रसवपूर्व सेवाओं की उपलब्धता एवं स्तर तथा उनका उपयोग एवं प्रसव के समय उपलब्ध परिचारिका आदि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त तीव्र श्वसन संक्रमण, नवजात बच्चे को दस्त अथवा निमोनिया, शिशु नाल में संक्रमण आदि रोगों के कारण शिशु मृत्यु होती है। बाल मृत्यु के कारण कुपोषण, समय पर टीकाकरण नहीं होना एवं परिवार का बच्चियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार आदि है।हालांकि प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध करना कठिन है परन्तु विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार यह स्पष्टतया बताते है कि समाज में लड़कों की तुलना में कम ध्यान रखा जाता हैं लड़को की अपेक्षा लड़कियों को चिकित्सा देर से सुलभ होती हैं राजस्थान में एक आयु के बाद ही महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस कार्य की सफलता के लिये सरकार समाज के व्यापक सहयोग की अपेक्षा करती है।

शीघ्र व त्वरित परीक्षण के लिए सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से अधिकृ त गजट में अधिसचू ना जारी करके विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी सैशन कोर्ट को अधिघोषित कर सकती है ताकि इस कानून के तहत जो अपराध हैं उनका शीघ्र परीक्षण हो सके। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों होने के बावजूद इस कानून की धारा 3 की उपधारा (1) में दर्ज अपराध असंज्ञेय होंगे और उनका परीक्षण दण्ड संहिता में दर्ज संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार होगा। संज्ञेय अपराध: इस कानून की धारा 3 की उपधारा (1) के अलावा सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

न्यायालय की शक्तिया

(1) धारा 16 की उपधारा 2 के तहत जिस किसी के खिलाफ पुलिस अधिकारी या उनकेमार्फत कोई अन्य व्यक्ति आदेश पारित करे उसके 15 दिन के अन्दर न्यायालय उसकी अर्जी पर तथा जो सामग्री व साक्ष्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करके व पर्याप्त सन्तुष्टि के बाद पुलिस के उस आदेश को रद्द या संशोधित कर सकेगा। उसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

(2) कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सामग्री व साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद कोर्ट इस बात के लिए सन्तुष्ट हो जाए कि महिला की सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कानूनी तौर पर आरोपी को प्रतिबन्धित किया जाए तो कोर्ट आरोपी को कोर्ट में निश्चित तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा और आरोपी को सुनने के बाद या अन्यथा भी कोर्ट परिस्थिति के अनुसार ऐसा आदेश पारित करेगा जो कोर्ट को उचित लगेगा।

(3) सामग्री व परिस्थितियों पर पूर्ण विचार के बाद कोर्ट को आवश्यक लगे तो पुलिस को संबंधित कानून में केस रजिस्टर करने के लिए निर्देश दे सकेगा। 10. कोर्ट के आदेश की पालना न होने पर दण्ड: धारा 9 की उपधारा 2 के तहत वो व्यक्ति दण्ड का भागी होगा जो कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेगा। यह दण्ड 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते है। जुर्माना अदा न करने पर जेल की सजा: अगर कोई अपराधी, जानबूझ कर या अन्य किसी कारण से कोर्ट द्वारा जुर्माना के आदेश की पालना न करे तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 64 में दिए गए दण्ड का भागी होगा।

पीडि़त को मुआवजे के रूप में जुर्माना देना (1) इस कानून के तहत अपराधी से दण्ड के रूप में जो जुर्माना वसूल किया जाएगा वह पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। (2) उपधारा (1) के तहत जो मुआवजा दिया जाएगा वह पीड़ित को तात्कालिक राहत के लिए सरकार द्वारा तय किए गए अन्य मुआवजे या वित्तीय सहायता व इस कानून की धारा 13 के तहत दिए जाने वाले पुनर्वास अनुदान के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। 13. पीड़ितों को पुनर्वास अनुदान अत्याचार से पीड़ित को इस कानून की धारा 3 के तहत परिभाषित पुनर्वास अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अन्य कोई अत्याचार जिसको इस कानून में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अन्य अपराधिक कानूनों में परिभाषित किया गया है उनके बारे में नियमों में जो लिखा है वैसा किया जाएगा। अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार असन्तुष्ट व्यक्ति अगले उच्च कोर्ट में प्रथम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के 30 दिन के अन्दर अपील कर सकता है। पीड़ित महिला को मुफ्त कानूनी सेवा नीड़ित महिला लीगल सर्विसेज आथोरिटि कानून 1987(1987 का 39) के तहत मुफ्त कानूनी सेवा के लिए हकदार है।

महिला अत्याचार के निवारण व संरक्षण के तरीके महिला को अत्याचारों से निवारण व संरक्षण के तरीके जब कोई पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिले या यह रिपोर्ट मिले कि किसी तरह का अत्याचार हुआ है या इस तरह के पूर्ण आधार हैं कि अमुक तरह का अत्याचार किसी महिला के विरुद्ध हुआ है तो पुलिस उस स्थान पर जाएगी और वह सारे तरीके अपनाएगी जिससे अत्याचार की रोकथाम हो और महिला को संरक्षण प्रदान करेवही, जिसमें मान्यताप्राप्त आश्रय स्थल में भर्ती कराना भी शामिल है, अगर उसके लिए कोई आश्रय नहीं है। पुलिस अधिकारी तुरन्त उस व्यक्ति को वहां से बाहर करेगा जिसके कारण महिला को क्षति पहुची है। पुलिस अधिकारी मौखिक या लिखित में उस व्यक्ति या व्यक्ति यों को चेतावनी देगा जो महिला को नुकसान पहुचा चुका हो या पहुचा सकता हो उसे तुरन्त वह स्थान छोडने के लिए कहेगा और महिला को कोई क्षति न पहुंचाने के लिए बाध्य करेगा। अगर परिस्थिति ऐसी है कि पुलिस अधिकारी को यह आवश्यक लगे कि व्यक्ति या व्यक्ति यों को गिरफ्तार करना जरूरी है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें उस क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तथा उन पर धारा 107 व 116 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

निष्कर्ष

इस कानून के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध को उन्होंने पारित किया है या अपराध करने वाले को शरण दे रहे है या उन्हें खोजने में मदद नहीं कर रहे हैं या वे अपराधियों को जानते हैं और चुप हैं या उपलब्ध साक्ष्य को दबा रहे हैं तो राज्य सरकार अधिकृत गजट अधिसूचना से उन लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है जो उन सब पर लागू होगा जो इसमें शामिल थे और वे सामूहिक रूप से उसका भुगतान करेंगे और इसके अनुपात को राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर तय किया जाएगा जिसमें निवासियों के साधनों को ध्यान में रखा जाएगा। कानून इस कानून के प्रावधान सभी परम्पराओं, प्रथाओं से विरोधाभासी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

संदर्भ-सूची

1. डा. संजीव महाजन, भारतीय समाज।
2. प्रकाश नारायण नाटाणी, भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा।
3. अल्वा मिर्डल व वायोला क्लयान, 'वीमेंस टू रोल्स'।
4. दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, फरवरी 2004।
5. आचार्य रोहित, नारी और शिक्षा, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली।
6. डा. धर्मकीर्ति, मनु बनाम लादेन, परममित्र प्रकाशन, दिल्ली।
7. आज का सुरेख भारत, सितम्बर 2002 एवं फरवरी 2003।